संख्या-171/2016/1132/22-2-2016-17(50)/2011

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 29 सितम्बर, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गोपाल श्रीवास्तव पुत्र श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव निवासी जनपद-जौनपुर, वर्तमान जनपद-मीरजापुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-21431/पर-3(एम-22-06-2016) दिनांक-20-07-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उल्लेखनीय है कि बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में क्रिमिनल रिट याचिका सं0-14666/2013 गोपाल श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी है। उक्त याचिका में मा0 न्यायालय में अपने आदेश दिनांक 21.12.2015 द्वारा याची/बन्दी गोपाल श्रीवास्तव की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई का नवीन प्रार्थना-पत्र लेकर राज्य सरकार को तीन माह के अन्दर निस्तारित किये जाने के आदेश दिये गये है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.12.2015 का संगत अंश निम्नवत उद्धृत है:-

…… Accordingly, the writ petition is disposed of with the liberty to the petitioner to move an application afresh before the State Government for remission of his sentences, who may decide the same in exercise of his power under Sections 432 and 433 of Code of Criminal Procedure within a period of three months from today, taking into notice of several instances, as mentioned in page nos. 177, 181 and 185 of the writ petition, wherein the State Government has remitted the sentences of a life convict and also the Constitutional Bench decision of Hon'ble the Supreme Court (supra), in accordance with law.

3- आपके उक्त पत्र दिनांक 20.07.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गोपाल श्रीवास्तव पुत्र श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, निवासी गुलालपुर, थाना-नेवढियाए, जनपद-जौनपुर वर्तमान पता-नकहरा, पोस्ट-नकहरा देवखरा रोड नकहरा, थाना-देहात कोतवाली, जिला-मीरजापुर का रहने वाला है। दोनों पक्षों के मध्य आम की फसल के सम्बन्ध में हुए झगडे एवं बगीचे के बटवारे को लेकर चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 27.09.1988 को रात्रि लगभग 10:30 बजे घर में घुसकर सो रहे बागेश्वरी लाल, सुशील कुमार, कमलेश कुमार, सुरेन्द्र कुमार एवं विंध्यवासिनी लाल की फरसा एवं गडासानुमा बांके से मारकर 05 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-256/1988 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, जौनपुर द्वारा दिनांक 20.06.1991 को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.04.1693 द्वारा आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 22-02-2016 तक 27

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वर्ष 04 माह 23 दिन की अपरिहार तथा 35 वर्ष 00 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने तथा बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर घर में सो रहे 05 लोगों की अत्यन्त निष्ठुरता के साथ फरसा एवं गडसानुमा बांके से मारकर नृशंस हत्या कर जघन्यतम अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 46 वर्ष लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ्य होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा अतिरिक्त पांच बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी गोपाल श्रीवास्तव पुत्र श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के तथा मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 21.12.2015 के अनुपालन में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी गोपाल श्रीवास्तव (बन्दी संख्या-10792/91) पुत्र श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव निवासी जनपद-जौनपुर, वर्तमान जनपद-मिर्जापुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-171/2016/1132(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-171/2016/1132@22-2-2016-17(50)/2011

दिनांक 29 सितम्बर, 2016 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गोपाल श्रीवास्तव पुत्र श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, निवासी गुलालपुर, थाना-नेवढियाए, जनपद-जौनपुर वर्तमान पता-नकहरा, पोस्ट-नकहरा देवखरा रोड नकहरा, थाना-देहात कोतवाली, जिला-मीरजापुर का रहने वाला है। दोनों पक्षों के मध्य आम की फसल के सम्बन्ध में हुए झगडे एवं बगीचे के बटवारे को लेकर चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 27.09.1988 को रात्रि लगभग 10:30 बजे घर में घुसकर सो रहे बागेश्वरी लाल, सुशील कुमार, कमलेश कुमार, सुरेन्द्र कुमार एवं विंध्यवासिनी लाल की फरसा एवं गडासानुमा बांके से मारकर 05 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-256/1988 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, जौनपुर द्वारा दिनांक 20.06.1991 को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.04.1693 द्वारा आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 22-02-2016 तक 27 वर्ष 04 माह 23 दिन की अपरिहार तथा 35 वर्ष 00 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने तथा बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर घर में सो रहे 05 लोगों की अत्यन्त निष्ठुरता के साथ फरसा एवं गडसानुमा बांके से मारकर नृशंस हत्या कर जघन्यतम अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 46 वर्ष लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ्य होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा अतिरिक्त पांच बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी गोपाल श्रीवास्तव पुत्र श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in